



दी सिरौही सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि, सिरौही(राज.)

भारतीय रिजर्व बैंक लाईसेंस संख्या ग्रा.आ.ऋ.वि.(जय).सह. 14 दिनांक 18.01.2012

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14, बाईपास रोड, सीसीबी बैंक चौराहा, सिरौही

प्रबंध निदेशक 02972- 222349 बैंक कार्यालय 02972- 221343 Email. ccb.sirohi@gmail.com

क्रमांक/एससीसीबी/ ऋणो पर ब्याज दर /2021-22/25317-411

दिनांक 06.12.2021

कार्यालय- आदेश

बैंक द्वारा सीधे वितरित कृषि एवं अकृषि ऋणों की ब्याज दरें बैंक के पत्रांक 21527-623 दिनांक 01.11.2012 से निर्धारित की गई थी, जो वर्तमान में लागू है तथा बैंक द्वारा सीधे वितरित कृषि, अकृषि ऋण, अन्य ऋण, सीसीलिमिटेड एवं कृषक मित्र योजना ऋण के अवधिपार ऋणों की ब्याज दरें बैंक के आदेश क्रमांक 16558-16653 दिनांक 17.09.2018 एवं पत्रांक 24415-24514 दिनांक 15.11.2018 से संशोधित कर लागू की गई थी एवं बैंक के आदेश क्रमांक 44262-357 दिनांक 17.02.2020 से अचल संपत्ति विरुद्ध ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण (पर्सनल ऋण) की ब्याज दरें संशोधित कर लागू की गई थी।

वर्तमान में सीधे वितरित कृषि निवेश, अकृषि निवेश, अन्य ऋण एवं सीसीलिमिटेड ऋणों की लागू ब्याज दरों की श्रीमान् प्रशासक महोदय द्वारा समीक्षा की जाकर निम्न प्रकार से ब्याज दरों में परिवर्तन/ संशोधन कर नवीन ब्याज दरें दिनांक 27.12.2021 से निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गई है :-

बैंक द्वारा सीधे वितरित कृषि एवं कृषि से संबंधित ऋणों की प्रस्तावित ब्याज दरें

1 कृषि एवं कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियों एवं स्वयं सहायता समूह ऋण ब्याज दरें :-

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	कृषि एवं कृषि सहायक गतिविधियां- लघु सिंचाई शुष्क खेती भूमि विकास, बंजर भूमि विकास, वर्षा जल संग्रहण, एससी/एसटी एक्शन प्लान, जैविक खेती, एग्री एक्सपोर्ट जोन अंतर्गत कांटेक्ट खेती, ऐरोमेटिक, मेडिशियल और प्लाण्ट्स, डेयरी फार्म यंत्रीकरण, -(ट्रेक्टर्स) हेतु वित्त पोषण, राष्ट्रीय बागवानी योजनांतर्गत हरित गृह(ग्रीन हाउस), राष्ट्रीय खाद्य मिशन अंतर्गत पाईपलाईन योजना, कठोर चट्टानी क्षेत्रों में खोदे जाने वाले कुओं के माध्यम से कृत्रिम भूजल रिचार्ज योजना	11.00	15.00
2	कृषि एवं कृषि सहायक गतिविधियां- कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण गोदाम, जलधारा, स्वालम्बन योजना, डेयरी यूनिट, मुर्गीपालन पूंजी निधि ऋण, अक्षय सौर उर्जा योजना	11.00	15.00
3	स्वयं सहायता समूह/स्वयं सहायता समूह-एसजीएसवाय, संयुक्त दायित्व समूह ऋण योजना	10.50	14.50
4	किसान कल्याण योजना	11.00	15.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

2 अकृषि प्रयोजनों हेतु वित्त पोषण (कम्पोजिट, इन्टीग्रेटेड, होटल, होस्पिटल, सहकार स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड इत्यादि) ऋणों पर ब्याज दरें :-

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	रूपये 2.00 लाख तक	11.00	15.00
2	रूपये 2.00 लाख से अधिक दर	11.00	15.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

3 वाहन ऋण – वाणिज्यिक, निजी वाहन एवं एसआरटीओ ऋणो पर ब्याज दर :-
(वाहन-ऑटो, जीप, कार, ट्रक, बस, एसआरटीओ इत्यादि)

क्र. स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	रुपये 2.00 लाख तक	10.00	14.00
2	रुपये 2.00 लाख से अधिक	10.00	14.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

4 आवास ऋण की ब्याज दर :-

क्र. स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	रुपये 2.00 लाख तक	8.50	12.50
2	रुपये 2.00 लाख से अधिक दर	8.50	12.50

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

5 ट्रेडर्स लिमिट (सीसीलिमिट्स), कार्यशील पूंजी साख सीमा ऋणो पर ब्याज दर :-

क्र. स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	रुपये 2.00 लाख तक	11.00	15.00
2	रुपये 2.00 लाख से अधिक दर	11.00	15.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

6 अचल संपत्ति के विरुद्ध रहन ऋण पर ब्याज दर :-

क्र. स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	रुपये 2.00 लाख तक	11.00	15.00
2	रुपये 2.00 लाख से अधिक	11.00	15.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

7 एग्री क्लीनिक/एग्री बिजनेस प्रयोजन ऋण की ब्याज दर :-

क्र.स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	रुपये 2.00 लाख तक	11.00	15.00
2	रुपये 2.00 लाख से अधिक दर पर	11.00	15.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

8 व्यक्तिगत ऋण (पर्सनल ऋण) की ब्याज दर :-

क्र.स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	रुपये 5.00 लाख तक	11.00	15.00
2	रुपये 5.00 लाख से अधिक	11.00	15.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

8 अन्य ऋणों पर ब्याज दरें

क्र.स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	ज्ञान सागर योजना	11.00	15.00
2	दिव्यांग विश्वास योजना	11.00	15.00
3	उपभोक्ता ऋण	16.00	20.00
4	एनएससी/केवीपी के विरुद्ध ऋण	12.00	16.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

9 अन्य ऋण (समितियां)/हाईपोथिकेशन लिमिट एवं वेतनभोगी समितियों पर ब्याज दरें

क्र.स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	महिला सहकारी समितियां	11.00	15.00
2	पैक्स/लैम्पस/सहकारी उपभोक्ता भण्डार/मार्केटिंग समितियों को दृष्टि बंधक- रुपये 2.00 लाख तक	11.00	15.00
	रुपये 2.00 लाख से अधिक	11.00	15.00
3	वेतनभोगी समितियां (बैंक स्टाफ समिति)	8.00	12.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

10 कृषक मित्र ऋण योजना

क्र.स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	रूपये 3.00 लाख तक	7.00	11.00
2	रूपये 3.00 लाख से अधिक	11.00	15.00


उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

11 बैंक स्टाफ ऋण

क्र.स.	विवरण	दिनांक 27.12.2021 से लागू नवीन ब्याज दर (प्रतिशत में)	अवधिपार ऋण पर दण्डनीय ब्याज को सम्मिलित करते हुए लागू ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1	आवास ऋण	8.50	11.50
2	व्यक्तिगत साख सीमा(सीसीलिमिटेड्स)	8.00	11.00

उपरोक्त ऋण अवधिपार होने पर 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज दर को सम्मिलित करते हुए वसूल किया जायेगा जो कॉलम 4 में वर्णित किया है।

- उपरोक्त वर्णित ऋणों की ब्याज दरों के अतिरिक्त ऋणों पर ब्याज दरे पूर्ववत रहेगी।
- डेपुटेशन(प्रतिनियुक्ति)पर लगने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों / बैंक स्टाफ के बर्खास्तगी पर पब्लिक पर लगने वाली ब्याज दर लागू रहेगी।
- उपरोक्त संशोधित नवीन ब्याज दरें दिनांक 27.12.2021 को एवं इसके पश्चात् वितरित ऋणों पर लागू की जाती है।


प्रबंध निदेशक
दिनांक 06.12.2021

कमांक एससीसीबी / ऋणों पर ब्याज दर/2021-22/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् प्रशासक महोदय बैंक सिरोही ।
- अधिकाधी अधिकारी प्रका बैंक सिरोही ।
- वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक /नोडल अधिकारी कृषि व अकृषि ऋण प्र.का. बैंक सिरोही ।
- प्रभारी अधिकारी (कम्प्युटर अनुभाग) / श्री राकेश नागर /श्री विशालसिंह शेखावत बैंकिंग सहायक कम्प्युटर अनुभाग प्रका बैंक,सिरोही को भेजकर निर्देशित किया जाता है,कि सीबीएस सोफ्टवेयर में उपरोक्तानुसार ऋणों की ब्याज दरों में संशोधित करवाने की कार्यवाही करेंगे।
- शाखा प्रबंधक बैंक शाखा – समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि ऋणों पर उपरोक्तानुसार संशोधित नवीन ब्याज दरे सीबीएस सोफ्टवेयर में ऋण खातों में पत्र में वर्णित निर्देशानुसार संशोधन समय पर हो जाये, अपने स्तर से जांच किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- ऋण पर्यवेक्षक बैंक शाखा- समस्त।
- व्यवस्थापक – पैक्स/लेम्पस – समस्त।


प्रबंध निदेशक